

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.क्रमांक-1327 / 2004

संस्थित दिनांक-08.10.2001

फाईलिंग क्र.234503000172001

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन// विरुद्ध //

राममणी तिवारी पिता गोकरण तिवारी, उम्र-52 वर्ष,
निवासी-परसुड़ी पावई, पो. मुंदुर, थाना रामपुर नैकिन,
जिला सीधी (म.प्र.)

अभियुक्त// निर्णय //(आज दिनांक-28/06/2017 को घोषित)

1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-26.01.2001 को शाम करीब 5:30 बजे, बीजाटोला वननाका के पास थाना परसवाड़ा में जीप क्रमांक-एम.पी-22/सी-1511 को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्वक चलाते हुए बैजलाल को टक्कर मारकर बाएं पैर में अस्थिभंग कर घोर उपहति पहुंचाई।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-01.03.2001 को आवेदक बैजलाल ने पुलिस अधीक्षक बालाघाट को इस आशय का आवेदन दिया था कि दिनांक-26.01.2001 को शाम 5:30 बजे आवेदक साईकिल से अपने साईड से ग्राम कुमनगांव से खरपड़िया आ रहा था। जैसे ही वह बीजाटोला बैरियर के पास पहुंचा था, उसी समय जीप क्रमांक-एम.पी-22/सी-1511 का चालक जीप को परसवाड़ा की ओर से तेजी एवं लापरवाही से चलाते लाया तथा आवेदक को जीप के सामने भाग से टक्कर मार दिया था, जिससे आवेदक गिर पड़ा था और उसके बाएं पैर में अस्थिभंग हो गया था और अन्य गंभीर चोटें आई थी। उक्त जीप शिव मेडिकल बालाघाट की थी। टक्कर लगने से आवेदक घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया था। उसका ईलाज डॉक्टर खत्री परसवाड़ा में हुआ था, जहां संपत पटेल मेडिकल स्टोर्स परसवाड़ा वाले ने आवेदक की अर्ध बेहोशी की हालत में राजीनामा लिखवाया था, राजीनामे में क्या लिखा था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। आवेदक से कहा गया था कि जीप मालिक और श्रीवास्तव मेडिकल रिप्रेटेटिव ने उसका पूरा उपचार करा देंगे। बाद में आवेदक को पता चला कि

आवेदक के भाई को 2500/-रूपये मात्र दिये थे। उसका उपचार डॉ. खान बालाघाट के अस्पताल में हुआ था, किन्तु गंभीर फ्रेक्चर होने के कारण उसका पैर ठीक नहीं हुआ था। आवेदक चलने-फिरने में असमर्थ हो गया है। आवेदक ने जीप चालक या उसके मालिक से कोई राजीनामा नहीं किया है। आवेदक आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही चाहता है। बीजाटोला परसवाड़ा के एक जीप चालक ने लापरवाहीपूर्वक जीप चलाकर उसके लड़के को टक्कर मार दी, जिससे उसके बाएं पैर में चोट लगी थी और वह बालाघाट अस्पताल में भर्ती है। फरियादी के उपरोक्त आवेदन के आधार पर पुलिस थाना परसवाड़ा में आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-18/01, धारा-279, 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए तथा आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

3- आरोपी पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराधा विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक-26.01.2001 को शाम करीब 5:30 बजे, बीजाटोला वननाका के पास थाना परसवाड़ा में जीप क्रमांक-एम. पी-22/सी-1511 को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाते हुए मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर जीप क्रमांक-एम. पी-22/सी-1511 को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाते हुए बैजलाल को टक्कर मारकर बाएं पैर में अस्थिभंग कर घोर उपहति पहुंचाई थी ?

—:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

नोट:-साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6— बैजलाल पवार अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना 26 जनवरी 2001 की है। वह ग्राम कुमनगांव से परसवाड़ा जा रहा था, तभी बीजाटोला बैरियर के पास एक जीप तेजी से आड़ा—तिरछा चलाते हुए लाया और उसे और उसकी साईकिल को टक्कर मार दिया था। टक्कर लगने से उसका पैर टूट गया था। जीप चालक कौन था, उसे मालूम नहीं है। साक्षी को गांववालों ने बताया था कि जीप का क्रमांक—1511 था। साक्षी ने गांववालों से पूछा था तो गांववालों ने बताया कि किसी श्रीवास्तव मेडिकल वाले की जीप थी। उसे जीप वालों ने गाड़ी में बैठाकर उसके घर ग्राम खरपड़िया ले जाकर छोड़ दिए थे, तब वह बेहोश था, इसलिए जीप चलाने वाले को नहीं पहचानता। उसने घटना के संबंध में लिखित रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक बालाघाट को दी थी, जो प्रदर्श पी—1 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका मुलाहिजा करवाया था, उसके बाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि उसने प्र.पी.01 की रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी। वह नहीं बता सकता कि उसे दुर्घटना कारित करने वाली जीप ने लाया अथवा दूसरी ने क्योंकि वह बेहोश था।

7— अभियोजन साक्षी विरथलाल अ.सा.2 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो वर्ष पूर्व की है। वह अपने घर पर था, तभी 8—9 बजे जीप वाले उसके लड़के बैजलाल को जीप में लेकर आए थे और उसका लड़का बेहोश था। साक्षी को गांववालों ने बताया था कि जीप ने बैजलाल को टक्कर मारी थी, जिस जीप से बैजलाल को लाया गया था, उसी जीप ने बैजलाल को टक्कर मारी थी। उसे ध्यान नहीं है कि किस आदमी ने उसके लड़के को लाया था। साक्षी अपने लड़के का एक्सीडेंट देखकर घबरा गया था। उसने पुलिस को गाड़ी का नंबर नहीं बताया था। किस व्यक्ति ने दुर्घटना कारित की थी, वह नहीं बता सकता। उसने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी—2 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके लड़के बैजलाल का पैर

टूट गया था। गांववालों ने साक्षी को बताया था कि जीप वालों ने जीप को तेजी से चलाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि है कि उसने गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का नाम पुलिस को नहीं बताया था।

8— गोविन्द प्रसाद अ.सा.3 ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। दिनांक-26.01.201 को वह बीजाटोला नाके पर वनविभाग के स्वच्छता श्रमिक के पद पर पदस्थ था। वह एक लोडेड ट्रक की लिखा-पढ़ी ट्रक के अंदर बैठकर कर रहा था। बाहर निकलने पर उसे मालूम हुआ था कि जीप ने साईकिल को टक्कर मारी थी। उसने देखा था कि जीप परसवाड़ा से बीजाटोला जा रही थी और जीप चालक घायल को जीप में बैठाकर परसवाड़ा ले जा रहे थे। उसने जीप का नंबर नहीं देखा था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने परसवाड़ा तरफ से जीप के तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर बैरियर के पास सायकिल वाले को टक्कर मारने के तथ्य से इंकार किया है। साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.03 के कथन में जीप का नंबर एम.पी.22सी.1511 बताने से इंकार किया है।

9— कासनबाई अ.सा.4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना करीब 2 वर्ष पूर्व की है, उसका पति ग्राम कुमनगांव गया था। उसे शाम को सूचना मिली थी कि उसके पति बैजलाल का जीप से एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट परसवाड़ा बैरियर के पास हुआ था। उसके पति को शाम को जीप में लेकर आए थे। उसने देखी थी कि उसके पति के बाएं पैर में काफी चोट थी, जो अभी भी लंगड़े हैं। उसे बाद में जीप का नंबर पता चला था और जीप शिव मेडिकल वाले की थी। साक्षी ने अपने पति का ईलाज कराकर बाद में रिपोर्ट की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने जीप का नंबर नहीं देखी थी और पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी।

10— फत्तेलाल रहांगडाले अ.सा.5 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि करीब 3 वर्ष पूर्व की घटना है। शाम 7:00 बजे उसे सूचना मिली थी कि गांव के बैजलाल को जीप ने बीजाटोला नाके पर टक्कर मार दी थी, जिससे बैजलाल के बाएं पैर में चोट आई थी। उसने खतरी डॉक्टर के दवाखाने में बैजलाल को बेहोशी की हालत में देखा था। जिस जीप ने बैजलाल को टक्कर मारी थी, उसी

जीप के चालक ने बैजलाल को उसके घर में लाया था। जीप का नंबर-1511 था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी तथा वह जीप का नंबर गांव वालों के बताने पर बता रहा है।

11- उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना के समय सड़क दुर्घटना में आहत बैजलाल अ.सा.01 को चोटें आई थी, यद्यपि अभियोजन द्वारा चिकित्सक साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है, परन्तु उक्त दुर्घटना अभियुक्त द्वारा कारित की गई थी, उक्त संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। घटना के करीब दो माह पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जिस संबंध में परिवादी बैजलाल अ.सा.01 द्वारा अपने न्यायालयीन साक्ष्य में कोई कथन नहीं किये गये हैं और ना ही विलंब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध है। उक्त साक्षी ने पुलिस अधीक्षक को प्र.पी.01 की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कथन किये हैं, परन्तु प्रतिपरीक्षण में उक्त रिपोर्ट को पढ़कर नहीं देखना स्वीकार किया है। साक्षी ने गांववालों के बताये अनुसार जीप का नंबर 1511 होना व्यक्त किया है परन्तु अभियुक्त के द्वारा दुर्घटना करने से संबंधी कोई कथन नहीं किये हैं। अन्य किसी भी अभियोजन साक्षी ने कथित जीप अथवा अभियुक्त को घटना के समय देखने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अभियोजन द्वारा प्रकरण में विवेचक साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई गई है, जिससे प्रकरण में कथित वाहन की जप्ती प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में घटना के समय अभियुक्त द्वारा कथित वाहन का चालन सिद्ध नहीं होता है। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-26.01.2001 को शाम करीब 5:30 बजे, बीजाटोला वननाका के पास थाना परसवाड़ा में जीप क्रमांक-एम.पी-22/सी-1511 को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाते हुए बैजलाल को टक्कर मारकर बाएं पैर में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की थी। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक-एम.पी-22/सी-1511 मय दस्तावेजों के सुपुर्ददार हेमराज पिता भैयालाल, जाति कुशवाहा, साकिन-वार्ड नंबर-26

बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अतएव अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

14— प्रकरण में धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

सही / —
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सही / —
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट